न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 47/2021

जी.सी.एम.एस रजिस्ट्रेशन नं. :2021/59

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन मालिक / विक्रेता मैसर्स दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टेण्ड, परतापुर जिला बॉसवाडा, स्थायी पता– गोविन्द नगर, पुराना बस स्टेण्ड, मु.पो. परतापुर जिला बॉसवाडा (राज.)
2. श्री प्रकाश चन्द चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री मोतीलाल चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री दीपक कुमार चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री अजय कुमार चुग पुत्र श्री प्रताप राय चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
6. मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

7- **Mohan kumar jedia, Nominee-Mahan Milk Food Ltd. (JAP), Plot no.-44, First floor, Ambabari Shopping central Ambabari, Jaipur - 302039**

8- **Mahan Milk Food Ltd. (JAP), Plot no.-44, First floor, Ambabari Shopping central Ambabari, Jaipur - 302039**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 15.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के [illegible] श्री अशोक कुमार गु[illegible] सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य [illegible]धिकारी, बॉसवाडा हाल[illegible]ुर (राज) के द्वारा दिनांक 06–10–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि

दिनांक **03–11–2020** को 4.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टेण्ड, परतापुर जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक सील बन्द कार्टून में **घी (महान्) के 1 लीटर वाले 18 पैकेट्स** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिस ब्राण्डेड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर मूल ही कम्पनी, पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **घी (महान्) के 1 लीटर वाले वाले 4 पैकेट्स** मूल ही वास्ते जॉच खरीदे तथा इनकी कीमत 1500 रु. विक्रेता को चुका कर बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (महान्) के 1 लीटर वाले वाले 4 पैकेट्स** पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी। इन खरीदशुदा उक्त 4 मूल पैकेट को मोटे व मजबुत कागज में लपेटकर नियमानुसार सीलबन्द किया। चारो जारो को लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-662 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab से करवाने की जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोंगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/287 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 263 दिनांक 09.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (महान्)** Contravention of Regulation 2.2.2(1),(4) & 2.2.[illegible] safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से [illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत [illegible] अभियुक्तगण सं. 1 से 8 द्वारा **घी (महान्)** मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुर[illegible] एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:33 IST
Reason: SelfAttested

धारा 52, एवं अभियुक्तगण 7 एवं 8 ने उक्त माल कहॉ से प्राप्त किया की सूचना नही देकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन किया है जो कि सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 एवं बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी निर्माता से माल किस माध्यम से प्राप्त हुआ की सूचना नही देने से धारा 55 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया है।

प्रकरण दिनांक 11–10–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 15.11.2021 को अप्रार्थीगणो की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/287 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 263 दिनांक 09.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (महान्)** Contravention of Regulation 2.2.2(1),(4) & 2.2.2(3),(6),(7),(8),(9),(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। अभियुक्तगण सं. 1 से 8 द्वारा **घी (महान्)** मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52, एवं अभियुक्तगण 7 एवं 8 ने उक्त माल कहॉ से प्राप्त किया की सूचना नही देकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन किया है जो कि सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 एवं बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी निर्माता से माल किस माध्यम से प्राप्त हुआ की सूचना नही देने से धारा 55 का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः आरोपीयो को दोष सिद्व घोषित किया जाकर **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन मालिक / विक्रेता मैसर्स दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन, पुराना बस स्टेण्ड, परतापुर जिला बॉसवाडा, स्थायी पता– गोविन्द नगर, पुराना बस स्टेण्ड, मु.पो. परतापुर जिला बॉसवाडा (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), श्री प्रकाश चन्द चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), श्री मोतीलाल चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), श्री दीपक कुमार चुग पुत्र श्री गोविन्द राम चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), श्री अजय कुमार चुग पुत्र श्री प्रताप राय चुग पार्टनर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी, 136 कृषि उपज मण्डी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र),** Mohan kumar jedia, Nominee-Mahan Milk Food Ltd. (JAP), Plot no.-44, First floor, Ambabari Shopping central Ambabari, Jaipur - 302039 **को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र),** Mahan Milk Food Ltd. (JAP), Plot no.-44, First floor, Ambabari Shopping central Ambabari, Jaipur - 302039 **को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:33 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)